

GCMs 2025/744

# फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

23/1/26  
25/2/26

आज अदालत नीमान सरासरी कारोबार मुकाम डीडवाना  
युसुफ खां वगैरे बनाम रुमी रखा वगैरे पीरखा  
 किस्त मुकदमा राजस्थान-वा 3 136 LR सं. 43/सु 25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मल इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	------------------------------------	--

30/1/25

दस्तावेजों में उल्लिखित है कि यह वाद अन्तर्गत धारा 136 LR में है जो दर्ज रजिस्टर है। प्रतिस्तीका वाद सम्बन्धित होकर पत्रावली दिनांक 23/1/25 को पेश हो।

**Wheas**  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

23/1/26 पत्रावली पेश हुई।  
 जज सध डीडवाना ने न्यायिक कार्य स्थगित रहे।  
 पत्रावली दिनांक 23/1/26 को पेश हो।  
 राजे

25-02-26

पत्रावली पेश हुई। पेशीकार सरकार उपर।  
 याचक ईसुब खां पुत्र दीनदास खां वगैरे या.पत्रा  
 पेश कर सरदेस रगुरगुना स्टेशन के खसरा  
 नं. 418 रकबा 1.90 ई. में याचक अपना नाम  
 युसुफ खां पुत्र दीन खां के स्थान पर ईसुब खां  
 पुत्र दीनदास खां दुरस्त करवाने की इस्तदुका की  
 रदा है। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित  
 याचक पत्र एवम् रिपोर्ट क्रमांक 889 दिनांक 24/10/25  
 का फवलाकन उपरान्त वादी का वाद स्वीकार  
 किया जाता है।  
 सरदेस रगुरगुना स्टेशन के खेत खसरा  
 सं. 418 रकबा 1.90 ई. में खेतदार युसुफ खां  
 पुत्र दीन खां के स्थान पर ईसुब खां पुत्र  
 दीनदास खां दुरस्त किया जाता है।  
 पत्रावली फेराल इनाक होकर नम्बर  
 से का है।

**Wheas**  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

